

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक- चौराहे, गोलम्बर, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण से होर्डिंग शुल्क वसूली करने हेतु वित्तीय वर्ष- 2020-21 के लिए दिनांक-01/04/2020 से 31/03/2021 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नांकित आवश्यक शर्तों के तहत खुली डाक बन्दोबस्ती नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में निर्धारित तिथि (क) दिनांक- 23.09.2019 को अपराहन 12.30 बजे निर्धारित है। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर अंकित अनुवर्ती तिथि (ख) एवं (ग) को निर्धारित तिथि एवं समय पर बन्दोबस्ती की कार्यवाई की जाएगी।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	वार्षिक सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक- चौराहे, गोलम्बर, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर होर्डिंग (वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण) से शुल्क वसूली की डाक बन्दोबस्ती ।	2,01,600 /- (दो लाख एक हजार छः सौ ) रू0	50,400 /- (पच्चास हजार चार सौ रू0)	(क)23 / 09 / 2019 (ख)24 / 09 / 2019 (ग)25 / 09 / 2019 को अपराहन 12:30 बजे से

आवश्यक शर्तें :-

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपना आवासीय प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. सफल डाक वक्ता की जमानत राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष राशि स्वीकृत डाक वक्ता को डाक के तुरंत बाद एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। असफल डाक वक्ताओं की जमानत राशि डाक के बाद वापस कर दी जाएगी।
4. होर्डिंग स्थल की सफाई एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी एवं किसी तरह का हिंसा, अश्लीलता, धर्म विद्वेष, जाति सूचक, व्यक्ति सूचक से जुड़े कोई भी विज्ञापन होर्डिंग प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
5. होर्डिंग आदि का आंधी-तुफान/ दुर्घटना आदि के पश्चात् पुनः संधारण बन्दोबस्तधारी को करना अनिवार्य होगा तथा किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए घोषित निम्नतम मुआवजा देने की जबाबदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
6. बन्दोबस्तधारी जिस कम्पनी / संस्था का विज्ञापन के लिए अनुबंध करेगा, उसकी सूचना नगर निगम कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोबस्तधारी को नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धारा की सभी कंडिकाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी तरह के कानूनी विवाद का निपटारा निगम कार्यालय स्तर से ही मान्य होगा।
9. सरकार एवं चुनाव आयोग द्वारा विज्ञापन प्रसारण इस बन्दोबस्ती से मुक्त होगा एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित होर्डिंग को अविलम्ब लगाना बन्दोबस्तधारी को अनिवार्य होगा।
10. इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिडूल-1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।
11. बंदोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0 , आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
12. होर्डिंग डाक बन्दोबस्ती की अवधि में यदि कार्यालय/विभाग से होर्डिंग से संबंधित कोई आदेश होगा तो बन्दोबस्तधारी को उसका अनुपालन करना होगा।
13. यह बंदोबस्ती अहस्तान्तरणीय होगा। हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के बंदोबस्ती रद्द कर दी जायेगी तथा विधिसम्मत कार्यवाई की जायेगी।
14. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय डाक को रद्द/ समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नगर आयुक्त  
नगर निगम, मुंगेर।

महापौर  
नगर निगम, मुंगेर।

30/8/19